न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमती कमीया उर्फ कमला पुत्री स्व. श्री पुनीया पत्नि श्री रणछोडराम, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही, हाल निवासी- सेदरीया बालोतान, तहसील- आहोर, जिला- जालोर

बनाम

प्रत्यर्थी

1. श्री चुन्नीलाल पुत्र स्व. गोगाराम जी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री नारायणलाल पुत्र स्व. गोगाराम जी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज

राजस्व अपील संख्या: 72/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव, प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 24 दिसम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2000 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री परमार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 आपस में चचेर भाई और बहिन है व ग्राम पोसालिया के स्थायी निवासी है। अपीलार्थी अपने विवाह के बाद से अपने ससुराल ग्राम सेदरिया बालोतान, जिला- जालोर में निवास करती है। यह कि अपीलार्थी व प्रत्यथी

.....पेज दो पर

संख्या- 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम पोसालिया के खाता संख्या 150 खसरा संख्यां 1442/947 रकबा 11 बीघा किस्म बंजर आई हुई है, जिसके पुराना खसरा संख्या 947/26 रकबा 11 बीघा है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी के पिता स्व. श्री पुनीया पुत्र हटाजी मीणा, निवासी- पोसालिया का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा है व प्रत्यर्थी संख्या-1 के पिता श्री गोगा पुत्र हटाजी का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा था जो पुरानी जमाबंदी में खातेदारी में दर्ज है। अपीलार्थी के पिता श्री पुनीया पुत्र हटाजी का स्वर्गवास आज से करीबन 42 वर्ष पूर्व जब अपीलार्थी मात्र 2-3 साल की बच्ची थी तब हो गया था तथा अपीलार्थी के पिताजी का देहान्त होने के बाद उसकी माताजी श्रीमती दलुदेवी ने ग्राम दुजाणा में श्री हरजीराम मीणा के साथ दूसरा नाथा विवाह कर दिया था, इस प्रकार अपीलार्थी अपने पिता स्व. श्री पुनीया की एकमात्र ईकलौती संतान व उत्तराधिकारी है। अपीलार्थी के पिताजी का देहान्त होने के बाद व अपीलार्थी की माता द्वारा दूसरा विवाह करने के कारण अपीलार्थी के पिता के 1/2 हक हिस्से की आराजी का नामान्तररकरण अपीलार्थी कमीया पुत्री पुनीया जी के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज किया गया एवं प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के पिता गोगाजी पुत्र हटाजी के स्वर्गवास के बाद गोगाजी पुत्र हटाजी के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज की गई, जो पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से स्पष्ट है। इस तरह, उक्त कृषि भूमि में 1/2 हक हिस्सा अपीलार्थी का व 1/2 हक हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 का बतौर खातेदार है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर साल में केवल एक बार बरसाती खेती करती है व बरसात के दिनों में अपने पीहर पोसालिया आती है व बाकी समय अपने ससुराल ग्राम सेदरिया में रहती है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 जो कि अपीलार्थी के चचेरे भाई है व अपीलार्थी का विवाह होने के बाद से कम बोलचाल रखते है व अपीलार्थी के हक हिस्से की भूमि को हडपना चाहते है। यह दिनांक 17.6.2000 को ग्राम पोसालिया में राजस्व शिविर लगा था उस वक्त अपीलार्थी अपने ससुराल ग्राम सेदरिया बालोतान में थी उस दरम्यान प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 ने आपस में सलाह मश्वरा कर अपीलार्थी के हक हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से षडयंत्र रच कर तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर अपीलार्थी कमीया उर्फ कमला की मृत्यु होना बताते हुए प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 ने कमिया उर्फ कमला का एकमात्र उत्तराधिकारी बताते हुए गलत सूचना दर्ज करवाकर अपीलार्थी कमीया उर्फ कमला के हिस्से का नामान्तरकरण अपने हक में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने सही रुप से जांच किये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करवाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज से स्वीकृत करवा लिया, जबकि अपीलार्थी कमीया पुत्री श्री पुनीया की मृत्यु नही हुई है और अपीलार्थी कमीया उर्फ कमला पुत्री पुनीया जी अभी जीवीत है। यह कि प्रश्नगत नामान्तरकरण को दायर व स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया है और न ही मृत्यु बाबत कोई जांच की है तथा न

....पेज तीन पर

ही वारिसान की जांच की है व बिना जांच किये ही प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के पक्ष में गलत तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत कर दिया,. जो विधि सम्मत नही है। यह कि अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2000 के संबंध में पूर्व से जानकारी नही थी। अपीलार्थी अनपढ महिला है व अधिकांश समय अपने ससुराल में ही निवास करती है तथा उक्त भूमि के मौके पर अपीलार्थी अपने 1/2 हक हिस्से पर काबिज काश्त है जिससे अपीलार्थी को कभी भी अपने खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता ही नही पडी। यह कि अपीलार्थी यह अपील प्रस्तुत करने के लगभग एक माह पूर्व अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवाडा कराने हेतु अपने पीहर ग्राम पोसालिया आई व प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 को उक्त कृषि भूमि का आपस में बंटवाडा कराने हेतु कहा तो प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 ने अपीलार्थी को कहा कि यह जमीन तेरी नही है व तेरे नाम से नही है, तब अपीलार्थी ने हल्का पटवारी, पोसालिया के पास अपनी भूमि की जमाबंदी की नकल लेने हेतु गई तो पटवारी ने अपीलार्थी को बताया कि उसके नाम से खाते में जमीन दर्ज नही है व उक्त पूरी भूमि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के नाम से दर्ज है। जिस पर अपीलार्थी ने हल्का पटवारी, पोसालिया से उक्त भूमि के पुराने राजस्व रेकर्ड की जांच करवाई तो हल्का पटवारी से अपीलार्थी को इस बात की जानकारी हुई कि अपीलार्थी को मृत बताकर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 ने अपने नाम से भूमि दर्ज करवा ली है, तब अपीलार्थी ने हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2095 की नकल मांगी जो हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 16.10.2018 को तैयार करके दी जिससे अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी से अन्दर मियाद 30 दिन में यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अत: विलम्ब की अवधि को कन्डोन करते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2000 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राव ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त पूरी कृषि भूमि के मौके पर अपीलार्थी का न तो कब्जा-काश्त है तथा न ही कभी मौके पर अपीलार्थी का कब्जा-काश्त रहा है, मौके पर उक्त पूरे रकबे पर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त कृषि भूमि से अपीलार्थी का कोई लेना देना नही है तथा न ही उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का कोई हक हिस्सा बनता है। यह कि स्व. श्री पुनीया पुत्र हटाजी के एकमात्र वारिसान पुत्री कमीया था जिसकी मृत्यु हो जाने पर व कमीया पुत्र स्व. श्री पुनीया के एकमात्र वारिसान प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 होने से बाद जांच नियमानुसार प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है। यह कि स्व. पुनीया पुत्र हटाजी की मृत्यु के बाद पुनीया जी की पत्नि ने ग्राम दुजाना, जिला- पाली के निवासी श्री हरजीराम के साथ दूसरा विवाह/नाता विवाह कर लिया था एवं अपीलार्थी कमीया का जन्म ग्राम दुजाना में स्व. पुनीया जी की पत्नि द्वारा नाता विवाह करने के बाद हरजीराम से हुआ है, इस कारण स्व. पुनीया की पुत्री अपीलार्थी कमीया नही होकर हरजीराम की पुत्री है तथा अपीलार्थी जो कि हरजीराम की पुत्री है इस कारण से अपीलार्थी को उक्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार पैदा नही होते है। स्व. पुनीया

....पेज चार पर

जी की पुत्री कमीया की मृत्यु हो चुकी है एवं स्व. पुनीया जी के कमीया उर्फ कमला नाम की कोई पुत्री नही है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के हक हिस्से की कृषि भूमि को हडपने की नियत से जानबूझ कर अपने कमला नाम का फ़ायदा उठाने के लिये गलत तथ्य अंकित करते हुए यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि नियमानुसार नामानतरकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 1442/947 रकबा 11 बीघा किस्म बंजर (जिसके पुराने खसरा संख्या 947/26क रकबा 11 बीघा है) के संयुक्त खातेदार कमीया पुत्री पुनीया मेणा, निवासी- पोसालिया की मृत्यु होना बताते हुए हल्का पटवारी, पोसालिया द्वारा कमीया पुत्री पुनीया मेणा, निवासी- पोसालिया के उत्तराधिकार का नामान्तरकरण 2095 दिनांक 17.6.2000 को चुनीया, नारायण पिसरान- गोगा मेणा के नाम से दर्ज किया गया है, जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 17.6.2000 को स्वीकृत किया गया है तथा राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी 2071-2074 में उक्त कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है। नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2000 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 13.11.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने यह अपील मुख्यत: इस बिनाय पर प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थी कमीया उर्फ कमला पुत्री पूनीया पत्नि श्री रणेछाडराम, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया, हाल निवासी- सेदरिया बालोतान, जिला- जालोर अभी तक जीवीत है एवं शादी के बाद से अपने ससुराल ग्राम सेदरिया बालोतान, जिला- जालोर में निवास कर रही है, जिसकी मृत्यु होना बताकर हल्का पटवारी, पोसालिया द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2000 को दायर किया जिसे नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 17.6.2000 को स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2001 को निरस्त कराने हेतु यह अपील प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है, जिसमें अपील पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में यह कारण बताया है कि ''अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2000 के संबंध में पूर्व से जानकारी नही थी। अपीलार्थी अनपढ महिला है व अधिकांश समय अपने ससुराल में ही निवास करती है तथा उक्त भूमि के मौके पर अपीलार्थी अपने 1/2 हक हिस्से पर काबिज काश्त है जिससे अपीलार्थी को कभी भी अपने खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता ही नही पडी। यह कि अपीलार्थी यह अपील प्रस्तुत करने के लगभग एक माह पूर्व अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवाडा कराने हेतु अपने पीहर ग्राम पोसालिया आई व प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 को उक्त कृषि भूमि का आपस में बंटवाडा कराने हेतु कहा तो प्रत्यर्थी संख्या- 1 व

...पेज पांच पर

2 ने अपीलार्थी को कहा कि यह जमीन तेरी नही है व तेरे नाम से नही है, तब अपीलार्थी ने हल्का पटवारी, पोसालिया के पास अपनी भूमि की जमाबंदी की नकल लेने हेतु गई तो पटवारी ने अपीलार्थी को बताया कि उसके नाम से खाते में जमीन दर्ज नही है व उक्त पूरी भूमि प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के नाम से दर्ज है। जिस पर अपीलार्थी ने हल्का पटवारी, पोसालिया से उक्त भूमि के पुराने राजस्व रेकर्ड की जांच करवाई तो हल्का पटवारी से अपीलार्थी को इस बात की जानकारी हुई कि अपीलार्थी को मृत बताकर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 ने अपने नाम से भूमि दर्ज करवा ली है, तब अपीलार्थी ने हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2095 की नकल मांगी जो हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 16.10.2018 को तैयार करके दी जिससे अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में जानकारी से अन्दर मियाद 30 दिन में यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।''

अपीलार्थी ने धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से उक्त धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब तो प्रस्तुत हुआ है, लेकिन कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही हुआ है। प्रकरण में प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2000 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी हो। विधिक दृष्टान्त आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।'' ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कन्डोन करते हुए इस अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

चूंकि प्रकरण में प्रत्यर्थी पक्ष ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि कमीया पुत्री पूनीया मेणा, निवासी- पोसालिया की मृत्यु हो चुकी हो। जबकि अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आधार कार्ड में अपीलार्थी का नाम कमला पत्नि रणछोडराम, मीणा का वास, सेदरिया बालोतान, जालोर अंकित है व जन्म का वर्ष 1982 अंकित है। हालांकि अपीलार्थी ने भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी ही पूनीया जी की पुत्री हो। ऐसी स्थिति में, यह तथ्य जांच का विषय है कि क्या पूनीया जी की पुत्री कमीया की मृत्यु हो चुकी है? अथवा अपीलार्थी कमीया उर्फ कमला पत्नि श्री रणछोडराम, जाति- मीणा, निवासी- सेदरिया बालोतान, जिला- जालोर ही पूनीया जी की पुत्री है? ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस तथ्य की जांच करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित प्रतीत होता है कि क्या पूनीया जी की पुत्री कमीया की मृत्यु हो चुकी है? अथवा अपीलार्थी कमीया उर्फ कमला पत्नि श्री रणछोडराम, जाति- मीणा, निवासी-सेदरिया बालोतान ही पूनीया जी की पुत्री है?

....पेज छः पर

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2095 दिनांक 17.6.2000 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए इस तथ्य की जांच करे कि क्या पूनीया जी की पुत्री कमीया की मृत्यु हो चुकी है? अथवा अपीलार्थी कमीया उर्फ कमला पत्नि श्री रणछोडराम, जाति- मीणा, निवासी- सेदरिया बालोतान, जिला- जालोर ही पूनीया जी की पुत्री है? तत्पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.01.14 10:42:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: